

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

5457

संख्या-5/न0वि0/(गठन)-09/2016 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2052 दिनांक-17.03.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्वारा वैशाली जिलान्तर्गत महनार नगर पंचायत की वर्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्तमान चौहद्दी को ही नगर परिषद, महनार के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद, महनार कहा जाएगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
18/8/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
/पटना, दिनांक-21/8/17

5457

संख्या-5/न0वि0/(गठन)-09/2016 /न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

18/8/2017
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
5457 /पटना, दिनांक-21/8/17

संख्या-5/न0वि0/(गठन)-09/2016 /न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/2017
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
5457 /पटना, दिनांक-21/8/17

संख्या-5/न0वि0/(गठन)-09/2016 /न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/2017
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-5/न0वि0/(गठन)-09/2016 अधिसूचना संख्या- दिनांक- /का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

21/8/17
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
18/8/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department

Memo No- No-5/ N.vi/Gathan-09/2016 5458 /After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-2052 dated-17.03.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007), in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act, the Government, Bihar is hereby constitutes the areas falling in the present circle of Nagar Panchayat, Mahnar and its present boundaries within the district of Vaishali as the Nagar Parishad, Mahnar which will be called the Nagar Parishad, Mahnar.

2. This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar
18/8/2017
(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary

Memo No-5/ N.vi/Gathan-09/2016

Urban Development and Housing Department
UD&HD 5458 Dated:- 21/8/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

18/8/2017
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

Memo No-5/ N.vi/Gathan-09/2016

UD&HD 5458 Dated:- 21/8/17

Copy to All Departments/All Departmental Heads/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Vaishali, Hajipur/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister, Urban Development and Housing Department/Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

18/8/2017
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

Memo No- 5/ N.vi/Gathan-09/2016

5458 Urban Development and Housing Department
UD&HD Dated:- 21/8/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

18/8/2017
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department